न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी अनीलाल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 63/2026

कुनाराम पुत्र रामलाल जाति जाट आयु 33 वर्ष निवासी ग्राम सडूछोटी तहसील बीदसार जिला चूरू (राजस्थान)

.........वादी.........

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
2. श्रीमती कमला पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर, चूरू
3. श्री कैलाशचन्द्र पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर, चूरू
4. श्री कानाराम पुत्र बस्ताराम जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर, चूरू
5. श्रीमती चम्पा पुत्री अर्जुनराम जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर, चूरू
6. श्री नानूराम पुत्र अर्जूराम जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर, चूरू
7. श्री पप्पुराम पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर, चूरू
8. श्रीमती पेमा पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर, चूरू
9. श्री प्रेमाराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर, चूरू
10. श्री भंवरलाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर, चूरू
11. श्रीमती भंवरी पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर, चूरू
12. श्रीमती मंजु पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर, चूरू
13. श्रीमती मानादेवी पुत्री अर्जुनराम जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर, चूरू
14. श्रीमती रूखमा पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर, चूरू
15. श्री रूपाराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर, चूरू
16. श्री राजुराम पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर, चूरू
17. श्री रामनारायण पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर, चूरू
18. श्री श्रवणराम पुत्र अर्जनराम जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर, चूरू
19. श्री सागरराम पुत्र अर्जनराम जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर, चूरू
20. श्री सांवरमल पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी सडूछोटी तहसील बीदासर, चूरू
21. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बीदासर, तहसील बीदासर जिला चूरू
22. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय एस.बी.आई. शाखा कातरछोटी, तहसील बीदासर जिला चूरू

...........प्रतिवादीगण...........

दावा घोषणात्मक

उपस्थितः (1) विद्वान अधिवक्ता श्री गोवर्धनसिंह राठौड़, महावीरसिंह राठौड़ वादी की ओर से व
(2) विद्वान अधिवक्ता श्री अमरसिंह राठौड़, प्रतिवादी सं. 4, 5, 9, 10, 14, 15, 18 की ओर से
(3) प्रतिवादी सं. 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22 के विरूद्ध एक पक्षीय
(3) राजपैरोकार उपस्थित

दिनांक : 8-7-25

–: निर्णय :–

दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 20 के नाम से खेत खसरा संख्या 253/55 भूमि तादादी 1.2393 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 257/165 भूमि तादादी 3.5789 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 54 भूमि तादादी 3.7181 हैक्टेयर वाके रोही सडूछोटी तहसील बीदासर जिला

लगातार.........2 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

चूरू राजस्थान के राजस्व रिकॉर्ड मे संयुक्त खातेदारी एंव कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग मे चली आ रही है। जिसमे वादी का मुताबिक रिकॉर्ड 1/30 हिस्सा भूमि है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 20 के नाम से खेत खसरा संख्या 470 भूमि तादादी 12.2417 हैक्टेयर वाके रोही राङ्गसड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान के राजस्व रिकॉर्ड मे संयुक्त खातेदारी एंव कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग मे चली आ रही है। जिसमे वादी का मुताबिक रिकॉर्ड 1/30 हिस्सा भूमि है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में उपरोक्त खसरे जात की भूमि की खातेदारी वादी पुनाराम पुत्र रामलाल जाति जाट के नाम से खातेदारी चली आ रही है जो अशुद्ध है वादी कुनाराम के पिता रामलाल का स्वर्गवास हुआ उस वक्त राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश वादी का नाम पुनाराम पुत्र रामलाल दर्ज कर दिया जबकि वादी का शुद्ध व सही नाम कुनाराम पुत्र रामलाल था। वादी के नाम से आधार कार्ड है उक्त आधार कार्ड मे वादी का नाम कुनाराम पुत्र रामलाल दर्ज है तथा वादी के पास अन्य सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड संख्या 8466 0648 5771 में वादी कुनाराम पुत्र रामलाल, जन आधारकार्ड संख्या 5074466084 में वादी कुनाराम पुत्र रामलाल, परिवार राशन कार्ड संख्या 200002441724 में वादी कुनाराम पुत्र रामलाल, पेन कार्ड HQLPR9424M में वादी कुनाराम पुत्र रामलाल, व बैंक पास बुक्स आदि दस्तावेजात मे वादी का नाम कुनाराम पुत्र रामलाल दर्ज है जो कि सही व शुद्ध नाम है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड मे वादी का नाम पुनाराम पुत्र रामलाल अशुद्ध होने के कारण वादी वर्तमान गलत राजस्व रेकॉर्ड को दुरुस्त करवाकर अपना सही व शुद्ध नाम कुनाराम पुत्र रामलाल की घोषणा करवाने का अधिकारी है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड मे वादी का नाम पुनाराम पुत्र रामलाल अशुद्ध रहते हुये वादी सरकारी लाभ, ऋण, के॰सी॰सी॰ इत्यादि प्राप्त नही कर सकता है, इसलिये वादी के लिये आवश्यक हो गया है कि वो राजस्व रेकॉर्ड मे अपना नाम पुनाराम पुत्र रामलाल की जगह शुद्ध व सही नाम कुनाराम पुत्र रामलाल की घोषणा करावे अन्यथा गलत राजस्व रेकॉर्ड के रहते हुये वादी को अपूर्तिय क्षति होगी। वादी ने दिनांक 10.03.2025 को प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि आप वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड मे मेरा जो गलत व अशुद्ध नाम पुनाराम पुत्र रामलाल दर्ज है को सही व दुरूस्त कर सही नाम कुनाराम पुत्र रामलाल दर्ज करवा देवें तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया और कहा कि आप सक्षम न्यायालय मे जाकर अपना सही नाम कुनाराम पुत्र रामलाल की घोषणा करावें। जिस पर वादी ने दावा पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन पंजीकृत डाक से तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16,

लगातार........3 पर

उपखण्ड अधिकारी

17, 19, 20, 21 व 22 न्यायालय में उपस्थित नही होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी के साथ प्रतिवादी संख्या 4, 5, 9, 10, 14, 15 व 18 ने न्यायालय में राजीनामा पेश किया जो न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया। राजपैरोकार ने अपना जवाब राज्य हित निहित नहीं होना पेश (अंकित) किया।

बहस अंतिम सुनी गयी वादी के अधिवक्ता ने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादी का शुद्ध व सही नाम दस्तावेजात के आधार पर कुनाराम पुत्र रामलाल है जो उक्त दस्तावेजात से साबित है, वादी का दावा डिक्री किया जावे। हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक सुक्षमता से अवलोकन किया तो उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से यह साबित है कि वादी का वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में पुनाराम पुत्र रामलाल अशुद्ध नाम है, वादी का शुद्ध व सही नाम कुनाराम पुत्र रामलाल है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड को दुरूस्त किया जाकर वादी का सही नाम कुनाराम पुत्र रामलाल नाम की घोषणा वादी राजस्व रेकॉर्ड में करवाने का अधिकारी है। वादी का घोषणात्मक दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादी का घोषणात्मक दावा अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वर्तमान खेत खसरा नंबर 253/55 भूमि तादादी 1.2393 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 257/165 भूमि तादादी 3.5789 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 54 भूमि तादादी 3.7181 हैक्टेयर वाके रोही सडूछोटी एवं खेत खसरा संख्या 470 भूमि तादादी 12.2417 हैक्टेयर वाके रोही सडूबड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू के राजस्व रेकॉर्ड में वादी का पुनाराम पुत्र रामलाल अशुद्ध नाम है, जिसे दुरूस्त कर सही व शुद्ध नाम कुनाराम पुत्र रामलाल दर्ज किये जाने का प्रतिवादी संख्या 1 को आदेश दिया जाता है। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 8-7-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमीलाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, बीदासर
बीदासर

अन्तिम डिक्री व इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूप 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास अमीलाल यादव आर.ए.एस.

कुनाराम बनाम राजस्थान सरकार आदि

दावा घोषणात्मक

राजस्व वाद संख्या :– ..63/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हाजरी श्री गोर्वधनसिंह राठौड़, महावीरसिंह राठौड़ वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्दई व राजपैरोकार उपस्थित व प्रतिवादीगण संख्या 4, 5, 9, 10, 14, 15 व 18 की ओर से अमरसिंह राठौड़ वकील उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21 व 22 के विरूद्ध एक तरफा मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वर्तमान खेत खसरा नंबर 253/55 भूमि तादादी 1.2393 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 257/165 भूमि तादादी 3.5789 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 54 भूमि तादादी 3.7181 हैक्टेयर वाके रोही सडूछोटी एवं खेत खसरा संख्या 470 भूमि तादादी 12.2417 हैक्टेयर वाके रोही सडूबड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू के राजस्व रेकॉर्ड में वादी का पुनाराम पुत्र रामलाल अशुद्ध नाम है, जिसे दुरूस्त कर सही व शुद्ध नाम कुनाराम पुत्र रामलाल दर्ज किये जाने का प्रतिवादी संख्या 1 को आदेश दिया जाता है। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अन्तिम डिक्री की पालना बाबत तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

चीज..........—..........मुबलिग..........—..........बाबत..........—..........खर्चा
इस मुकदमें के मय सुद व शरह ....—..........फीसदी
सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....—..........को
अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....8-7-25....

दस्तखत ....(हस्ताक्षर)........
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा........बीदासर........

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाई	रूपये	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर